शिक्षा

14

शिक्षा

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2021–22 में सरस्वती सायकल योजना के तहत् 1.55 लाख छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- वर्ष 2021–22 में निःशुल्क गणवेश योजना अंतर्गत 29.26 लाख छात्र–छात्राएं लाभान्वित।
- सत्र 2021–22 के लिए यू डाइस के आधार पर राज्य में सकल नामांकन दर प्राथमिक विद्यालयों में 96.61 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 94.49 है।
- वर्ष 2022–23 में 186 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 37,120 सीट स्वीकृत हैं।
- वर्ष 2022–23 में शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 3,35,139 छात्र–छात्राएं अध्ययनरत है।
- इंजीनियरिंग महाविद्यालय की कुल प्रवेश क्षमता 11,494 एवं पॉलीटेक्निक संस्था की कुल प्रवेश क्षमता 8,664 है।

शिक्षा

14.1 स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पश्चात् ही संम्पूर्ण राज्य में शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए निरन्तर प्रयासरत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 06 से 18 वर्ष आयुवर्ग के प्रत्येक बच्चों हेतु प्रदेश में आवश्यकतानुसार नये विद्यालयों की स्थापना एवं विद्यालयों को आवश्यकतानुसार उन्नत एवं विकसित किया जा रहा है। राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता के विकास हेतु इसी अनुक्रम में राज्य में सत्र 2020 से उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का संचालन भी एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय प्रयास है। राज्य में शाला त्यागी विद्यार्थियों को चिन्हांकित कर उनकी शिक्षा हेतु विशेष आवासीय विद्यालय/गैर आवासीय विद्यालयों में लाने का प्रयास किया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के दृष्टिकोण से प्रदेश में शालाएं खोलने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है अब मात्र जनसंख्या वृद्धि होने पर ही नवीन शालाएं खोलने की आवश्यकता होगी। प्रदेश ने लगभग 57 लाख विद्याथियों को शाला में नियमित रूप से जोड़ने हेतु सफलता हासिल की है।

प्रदेश में प्रत्येक छात्र के गुणवत्ता स्तर में उन्नयन हो, उपरोक्त तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए आउटकम लर्निंग शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रदेश के छात्र कक्षा स्तर के अनुकूल ज्ञान अर्जन करे इस हेतु राज्य स्तरीय आंकलन का सहारा लिया गया जिसमें प्रत्येक बच्चे के स्तर का मापन एवं मूल्यांकन लिपिबद्ध ढंग से रखा गया है जिसके आधार पर आगामी वर्षों में प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक उपचारात्मक शिक्षा माह अप्रैल में किये जाने की योजना है। प्रदेश के छात्रों को पढ़ाई में सहज ढंग से आगे अग्रसर हो इस हेतु प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा के आधार पर शिक्षण देने की व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही है। इन सबका मूल उद्देश्य यह है कि, प्रत्येक छात्र एक समान गति से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े।

राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के संचालन के कारण विद्यालयों में बालक बालिकाओं की दर्ज संख्या में वृद्धि के साथ साथ शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ी है। विगत वर्षो की तुलना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का रूझान भी शिक्षा के प्रति बढ़ा है। राज्य शासन की प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक,

माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के प्रति वचनबद्धता से सभी स्तर पर छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या में वृद्धि पायी गयी है। कोविड महामारी के कारण शालाएॅ नही खुल सकी इस समस्या को चुनौती मानकर विभाग द्वारा महति योजना **''पढ़ाई तुंहर दुआर''** के माध्यम से छात्रों तक अध्यापन पहुचाया गया एवं पूरे देश में उदाहरण प्रस्तुत किया गया।

समाज की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ी है। शासकीय विद्यालयों में छात्र–छात्रा अनुपात लगभग समान है परन्तु गुणवत्तायुक्त शिक्षण के लिए आवश्यक है कि, समाज भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी प्रदर्शित करे। यद्यपि विकास समितियां हैं तथापि शासन की यह मंशा है कि, शिक्षण के क्षेत्र में तभी प्रगति प्रदर्शित होगी जब समाज अपने क्षेत्र में स्थित विद्यालय के स्वयं कार्ययोजना तैयार करे। बच्चों के लिए नवाचार, एक्टिव लर्निंग पद्धति, प्रोफेसनल लर्निंग कमिटी एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग विभाग प्राप्त कर रहा है। विभाग इस संबंध में बाइसवीं शताब्दी को दृष्टिगत् रखते हुए शिक्षा के संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग भी अध्ययन–अध्यापन में करने हेतु तत्पर है।

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मानव संसाधन के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास तथा सामाजिक रूप से पिछड़े विकलांग, वृद्ध एवं बच्चों के स्तर में विकास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना प्रमुख है।

स्कूल शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था का कार्य राज्य स्तर पर लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जा रहा है। संभाग स्तर पर 05 संभागीय कार्यालय सहित जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की संख्या 29 है, यह कार्यालय 28 राजस्व जिलों में स्थित है। जांजगीर जिला को विभक्त कर नया शिक्षा जिला सक्ती का निर्माण किया गया है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय 146 है, जिनमें से 85 कार्यालय आदिम जाति विकासखण्डों मे एवं 61 सामुदायिक विकासखण्डों में हैं। इनके माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का संचालन किया जाता है।

विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार हैं :

1. प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा व्यवस्था (आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को छोड़कर)।

2. प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था।
3. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन।
4. अशासकीय शैक्षणिक संस्थान को अनुदान एवं उन पर नियंत्रण ।
5. छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों का निर्धारण/सामयिक पुनरीक्षण ।
6. शिक्षकों की भरती, प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण की व्यवस्था ।
7. शिक्षक प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार।
8. शिक्षा में नवाचार एवं अनुसंधान ।
9. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण तथा वितरण की व्यवस्था ।
10. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम।
11. शालाओं में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की व्यवस्था ।
12. परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था ।
13. निःशक्त छात्रों की शिक्षा व्यवस्था ।
14. समग्र शिक्षा अभियान का संचालन ।
15. वयस्क असाक्षर (विशेषकर 15 से 35 वर्ष) के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना ।
16. नवसाक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा का प्रबंध।
17. सबके लिए शिक्षा व्यवस्था।
18. मदरसा शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का आधुनिकीकरण।
19. संस्कृत शिक्षा का विकास।
20. शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्रदाय करना ।

14.1.1 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय :– 71 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को अधोसंरचना, विज्ञान उपकरण, खेल सामग्री, पुस्तकालय के विकास हेतु प्रति विद्यालय राशि रू. 43.00 लाख के मान से कुल राशि रू. 3053.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। समस्त 71 विद्यालयों को राशि उनके विद्यालयों के खातें में अंतरित कर दी गई है।

योजना के तहत वर्षवार प्राप्त उपलब्धियां लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि तालिका 14.1 में दर्शित है।

तालिका 14.1 _ स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भौतिक/वित्तीय प्रगति 2021–22					
क्र.	विवरण	स्वीकृति		व्यय	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	71 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय	71	3053.00	71	3053.00

14.1.2 बालिका प्रोत्साहन योजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना) :–

- ❖ केन्द्र प्रवर्तित योजना राज्य में प्रभावशील।
- ❖ योजनान्तर्गत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बी.पी.एल. परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की समस्त छात्राएं योजना की हितग्राही।
- ❖ 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3000/– रूपये छात्रवृत्ति की पात्रता।
- ❖ छात्रवृत्ति की राशि सीधे लाभान्वित छात्राओं के पासबुक में जमा करने का प्रावधान।

14.1.3 राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित योजना)

- ❖ केन्द्र प्रवर्तित योजना राज्य में प्रभावशील।
- ❖ परीक्षाएं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित।
- ❖ कक्षा 8वीं में मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
- ❖ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट एवं आरक्षण की पात्रता।
- ❖ गैर अनुदान प्राप्त शाला के विद्यार्थी परीक्षा में भाग नहीं ले सकते।
- ❖ सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत् एवं अन्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत् अंक होने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता।
- ❖ परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक न हो।

14.1.4 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रदाय :– प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान शालाओं के समस्त बालक. बालिकाओं को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शाला जाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना। कक्षा 1 से 10 तक सभी छात्र/छात्राएं पात्र हैं। योजना के तहत वर्षवार उपलब्धियां.लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि तालिका 14.2 में दर्शित है।

तालिका 14.2 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय

(करोड़ रू.में)

क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित छात्र–छात्राओं की संख्या
1	2017–18	147.03	88.14	56.50 लाख
2	2018–19	186.75	84.87	57.63 लाख
3	2019–20	230.12	109.14	51.60 लाख
4	2020–21	109.18	–	
5	2021–22	17676.38	132.62	53.59 लाख

14.1.5 निःशुल्क गणवेश योजना :–संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निःशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 स्तर के समस्त छात्र.छात्राओं के लिए दो सेट निःशुल्क गणवेश दिए जाते हैं। समस्त शासकीय शालाओं एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् समस्त बालक/बालिकाओं को दो सेट **गणवेश** तथा पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् समस्त बालक/बालिकाओं को एक सेट गणवेश प्रदान किया जाता है। योजना के तहत वर्षवार उपलब्धियां तालिका 14.3 में दर्शित है।

तालिका 14.3 निःशुल्क गणवेश योजना

क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
1	2017–18	16,880.00 लाख	14,305.00 लाख	31.60 लाख छात्र–छात्राएं
2	2018–19	20,167.00 लाख	14,460.00 लाख	32.20 लाख छात्र–छात्राएं
3	2019–20	21,315.00 लाख	15,079.00 लाख	29.01 लाख छात्र–छात्राएं
4	2020–21	76.50 लाख	–	22.08 लाख छात्र–छात्राएं
5	2021–22	20504.09 लाख	14840.65 लाख	29.26 लाख छात्र–छात्राएं

14.1.6 सरस्वती सायकल योजना :–संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कक्षा 9वीं के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार के छात्राओं को शाला आवागमन की सुविधा प्रदान करना एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

योजना के तहत वर्षवार उपलब्धियां, लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि आदि का विवरण तालिका 14.4 में दर्शित है।

तालिका 14.4 सरस्वती सायकल योजना				
क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2017–18	6100.00 लाख	5,938.55 लाख	1.83 लाख छात्राएं लाभान्वित
2	2018–19	6500.00 लाख	2,589.29 लाख	1.84 लाख छात्राएं संभावित
3	2019–20	6450.00 लाख	01.74 लाख	1.74 छात्राएं संभावित लक्ष्य
4	2020–21	6500.00 लाख	–	1.63 छात्राए संभावित
5	2021–22	6460.00 लाख	6453.13 लाख	1.55 लाख छात्राएं संभावित

14.1.7 छात्र दुर्घटना बीमा :–स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र–छात्रायें एवं महाविद्यालयीन छात्र/छात्राएं दुर्घटना बीमा के अंतर्गत मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 1,00,000/– की क्षतिपूर्ति एवं आंशिक अपंगता पर 50,000/– रुपये की क्षतिपूर्ति एवं भैषजिक उपचार हेतु 25,000/– अधिकतम छात्र दुर्घटना बीमा दिया जाता है।

योजना के तहत वर्ष 2017–18 से मृत्यु पर बीमा राशि की दर रूपये 10 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की गई, वर्षवार हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि आदि का विवरण तालिका 14.5 में दर्शित है।

तालिका 14.5 छात्र दुर्घटना बीमा				
क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	हितग्राहियों की संख्या
1	2017–18	368.00	340.25	341
2	2018–19	368.00	272.25	316
3	2019–20	410.00	155.00	276
4	2020–21	410.00	153.00	419
5	2021–22	450.00 लाख	327.00 लाख	480

14.1.8 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :– योजना का उद्‌देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति की कन्याओं को शिक्षा में प्रोत्साहन; हितग्राही की पात्रताएं शालाओं में कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित अनुसूचित जाति, जनजाति की छात्राएं।

योजना के तहत वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जनजाति की कुल 68371 छात्राओं को कुल रूपये 3,41,85,500/– तथा अनुसूचित जाति की कुल 29741 छात्राओं को कुल रूपये 1,48,70,500/– का भुगतान किया गया है। योजना के तहत वर्ष 2021–22 में

अनुसूचित जनजाति की कुल 68486 छात्राओं को कुल रूपये 3,42,43,000/— तथा अनुसूचित जाति की कुल 30637 छात्राओं को कुल रूपये 1,53,18,500/— का भुगतान किया गया है।

14.1.9 अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना :— अस्वच्छ धंधों में लगे हुए परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन हेतु हितग्राही की पात्रताएं अस्वच्छ धंधा व्यवसाय में कार्यरत् माता—पिता के कक्षा 1ली से 10वीं तक के विद्यार्थियों को माता—पिता के अस्वच्छ धंधा व्यवसाय के प्रमाण पत्र के आधार पर। योजना के तहत वर्ष 2021—22 में कुल 8425 विद्यार्थियों को राशि रू. 2,57,15,000/— का भुगतान किया गया है।

14.1.10 मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :— योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति समूह के मेधावी छात्रों की पढ़ाई में निरंतरता हेतु हितग्राही की पात्रताए शालाओं में बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आये अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थी जिनके पास छ.ग.राज्य का स्थायी जाति व निवास प्रमाण पत्र तथा नियमित अध्ययनरत् होना आवश्यक है। योजना के तहत सत्र 2021—22 में कोरोना आपदा के कारण सी.जी.बोर्ड, सी.बी.एस.ई. बोर्ड एवं आई.सी.एस.ई. बोर्ड की मेरिट सूची अप्राप्त है। वर्ष 2020—21 में अनुसूचित जाति के 288 विद्यार्थियों को राशि रू. 43.20 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के 672 विद्यार्थियों को राशि रू. 100.80 लाख का भुगतान किया गया है।

14.2 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्र. 23 सन् 1965) द्वारा शासित एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है। मण्डल का कार्य संचालन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, विनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार होता है। छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल का गठन 20 जुलाई 2001 को हुआ है।

14.2.1 मण्डल के मुख्य कार्य :—

1. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि प्रमाण पत्र परीक्षा एवं डी.एड. की परीक्षाओं का संचालन। परीक्षाफल घोषित कर अंकसूचियां जारी करना।
2. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु शासन को सलाह देना।
3. पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण कार्य

4. छत्तीसगढ़ में स्थित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की मान्यता
5. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के स्तर को उच्च करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना।
6. विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के उत्साहवर्धन एवं प्रेरणा के लिये प्रयास करना।
7. अन्य गतिविधियां

14.2.2 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षाएं मुख्य हैं। वर्ष 2014–2021 तक परीक्षा संबंधी संख्यात्मक जानकारी इस प्रकार है–

तालिका 14.6 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा संबंधी संख्यात्मक

वर्ष	हाई स्कूल			हायर सेकेण्डरी		
	प्रविष्ट	उत्तीर्ण	प्रतिशत	प्रविष्ट	उत्तीर्ण	प्रतिशत
2014	427446	229917	54.00	268891	195115	72.86
2015	426675	227595	53.34	290777	211460	72.72
2016	433218	236073	54.00	277114	202646	73.43
2017	401641	242918	60.51	271994	207133	76.36
2018	381737	258573	68.04	270043	207111	77.00
2019	388120	261177	68.20	262492	203893	76.43
2020	384761	283157	73.62	275736	216526	78.59
2021	467261	461093	100	286850	276817	97.43

तालिका 14.7 परीक्षा वर्ष 2022 तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं की जानकारी

क्र.	परीक्षा का नाम	मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या		
		शासकीय	अशासकीय	कुल संस्था
1	हाईस्कूल	4738	2376	7114
2	हायर सेकण्डरी	2806	1465	4271

तालिका 14.8 परीक्षा वर्ष 2021–2022 के परीक्षा केन्द्रों की जानकारी

क.	परीक्षा का नाम	केन्द्र संख्या
1	हाईस्कूल	2355
2	हायर सेकण्डरी (10+2)	2224

	तालिका 14.9 नवीन विद्यालयों की स्थापना													
क्र.	स्तर	नवीन प्रारंभ किए गए विद्यालयों की संख्या												
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग
1	प्राथमिक शाला	1	319	193	8	45	0	0	4	0	0	0			579
2	माध्यमिक	404	85	140	30	35	0	0	15	1	0	0			735
3	हाईस्कूल	9	218	1033	0	70	10	35	184	140	145	18	निरंक	निरंक	2138
4	हायर सेकेण्डरी	31	95	119	217	150	9	12	98	116	127	22			1142
	योग	**445**	**717**	**1485**	**255**	**300**	**19**	**47**	**301**	**257**	**272**	**40**			**4594**

तालिका 14.10 शैक्षणिक संस्थान एवं नामांकन वर्ष 2020–21					
क्रमांक	संस्था का नाम	शैक्षणिक संस्थाएं	संस्थावार नामांकन		
			छात्र	छात्राएं	योग
1	प्राथमिक	32,766	13,60,383	12,96,333	26,56,716
2	माध्यमिक	16,453	7,45,791	7,27,096	14,72,887
3	हाई स्कूल	2,732	4,56,242	4,75,030	9,31,272
4	हायर सेकेण्डरी	4,543	2,92,236	3,41,601	6,33,837
	कुल योग	56,494	28,54,652	28,40,060	56,94,712

तालिका 14.11 शिक्षक संख्या वर्ष 2020–21							
क्रमांक	संस्था का नाम	संस्थावार शिक्षक संख्या			प्रशिक्षित	प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत्	शिक्षक छात्र अनुपात
		पुरुष	महिला	योग			
1	प्राथमिक	54,532	38,108	92,640	87,347	94	29
2	माध्यमिक	39,377	36,854	76,231	66,307	87	19
3	हाई स्कूल	9,647	11,648	21,295	17,866	84	44
4	हायर सेकेण्डरी	34,349	40,813	75,162	64,952	86	8
	कुल योग	1,37,905	1,27,423	2,65,328	2,36,472	89	21

स्त्रोत : यूडाइस डाटा 2020–21

14.3 समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ

- समग्र शिक्षा, भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक प्रशिक्षण को सम्मिलित करती हुयी विद्यालयीन शिक्षा की एकीकृत केन्द्र प्रवर्तित योजना है। वर्तमान में इसमें भारत शासन का अंशदान 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का योगदान 40 प्रतिशत है।
- इसके अंतर्गत मानदण्ड अनुसार 03 कि.मी. पर पूर्व माध्यमिक शाला, 05 कि.मी. पर माध्यमिक शाला एवं 07 कि.मी. पर उच्चतर माध्यमिक शाला उन्नयित कर संचालित की जा रही है।

- आवश्यकतानुसार उन्नयित शालाओं का भवन, पोर्टा केबिन, आवासीय विद्यालय एवं कन्या छात्रावास, पूर्व से संचालित शालाओं में कक्ष, पेयजल सुविधा, बालक/बालिका टॉयलेट सुविधा एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का ध्यान रख कर निर्माण कार्य किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त उन्नयित विद्यालयों हेतु शिक्षक वेतन , शिक्षक प्रशिक्षण, आर टी ई अंतर्गत प्रदान की जा रही समस्त सुविधाएं, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को स्कार्ट एलाउंस, ट्रांसपोर्ट एलाउंस, ब्रेल बुक एवं छात्रवृत्ति तथा सहायक सामग्री आदि उपलब्ध कराई जाती हैं।
- भारत शासन द्वारा सत्र 2013–14 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत **कन्या छात्रावास, आई ई डी एस एस {समावेशी शिक्षा}, व्यावसायिक शिक्षा एवं आई सी टी** योजनाओ को शामिल किया गया है। राज्य में सत्र 2014–15 सें ये सभी योजनाऐं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित है।

14.4 शैक्षणिक सूचकांक :– सत्र 2021–22 के लिए राज्य के विद्यालयीन शिक्षा से संबंधित समस्त मुख्य सूचकांक यू–डाईस 2021–22 के आधार पर निम्नानुसार हैः–

सकल नामांकन दर (Gross Enrolment Ratio)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर	96.49	96.74	96.61
उच्च प्राथमिक स्तर	94.28	94.71	94.49
प्रारंभिक स्तर	95.70	96.00	95.85
माध्यमिक स्तर	75.26	81.44	78.30
उच्चतर माध्यमिक स्तर	62.85	73.55	68.11

शुद्ध नामांकन दर (Net Enrolment Ratio)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर	85.65	86.20	85.92
उच्च प्राथमिक स्तर	75.95	76.96	76.45
प्रारंभिक स्तर	82.18	82.85	82.50
माध्यमिक स्तर	52.75	57.58	55.13
उच्चतर माध्यमिक स्तर	42.84	50.89	46.80

समायोजित शुद्ध नामांकन दर (Adjusted Net Enrolment Ratio)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर	91.78	92.34	92.05
उच्च प्राथमिक स्तर	83.99	88.20	82.75
प्रारंभिक स्तर	88.99	90.84	88.70
माध्यमिक स्तर	63.67	70.02	66.79
उच्चतर माध्यमिक स्तर	42.84	50.89	46.80

ठहराव दर (Retention Rate)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर	96.97	96.66	96.82
प्रारंभिक स्तर	84.82	87.41	86.08
माध्यमिक स्तर	70.17	79.24	74.59
उच्चतर माध्यमिक स्तर	39.32	49.69	44.35

छात्र शिक्षक अनुपात (PTR)		
स्तर	समस्त प्रबंधन	शासकीय
प्राथमिक स्तर	22	23
उच्च प्राथमिक स्तर	20	23
माध्यमिक स्तर	19	19
उच्चतर माध्यमिक स्तर	27	30

औसत वार्षिक शाला त्यागी दर (AADOR)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर 1 से 5	0.97	0.59	0.78
उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8	4.90	3.37	4.13
प्रारंभिक स्तर 1 से 8	2.93	1.98	2.46
माध्यमिक स्तर 9 से 10	11.38	7.88	9.63
उच्चतर माध्यमिक स्तर 11 से 12	8.88	6.01	7.45

अंतरण दर (Transition Rate)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक से उच्च प्राथमिक	96.61	97.63	97.11
उच्च प्राथमिक से हाईस्कूल	85.97	90.38	88.15
हाईस्कूल से हायर सेकेन्डरी स्कूल	85.88	88.87	87.41

तालिका क. 14.19 बालिकाओं का प्रतिशत एवं बालिका समानता सूचकांक

स्तर	बालिकाओं का प्रतिशत	बालिका समानता सूचकांक
प्राथमिक स्तर	48.75	0.95
उच्च प्राथमिक स्तर	49.32	0.97
माध्यमिक स्तर	51.18	1.05
उच्चतर माध्यमिक स्तर	53.10	1.13

तालिका 14.20 प्रबंधनवार शालाओं की संख्या						
क.	प्रबंधन	प्राथमिक	उच्चप्राथमिक	हाईस्कूल	हायरसेकेन्डरी	योग
1	स्कूल शिक्षा विभाग	1810682	1065285	187549	1094882	**4158398**
2	आदिम जाति विभाग	55	4961	598	11079	**16693**
3	अनुदान प्राप्त	19731	14580	2396	37011	**73718**
4	अशासकीय	100892	386761	189466	742262	**1419381**
5	अन्य प्रबंधन	0	363	0	1976	**2339**
6	माडल स्कूल	0	0	0	29273	**29273**
7	समाज कल्याण विभाग	205	191	161	227	**784**
8	केन्द्रीय विद्यालय	226	1490	1914	31694	**35324**
9	नवोदय विद्यालय	0	0	1091	10175	**11266**
10	सैनिक स्कूल	0	0	0	662	**662**
11	रेल्वे स्कूल	0	0	223	3840	**4063**
12	तिब्बतन स्कूल	31	0	0	0	**31**
13	मान्यता प्राप्त मदरसा	6874	3853	0	55	**10782**
14	गैरमान्यता प्राप्त मदरसा	991	522	0	0	**1513**
	योग	**1939687**	**1478006**	**383398**	**1963136**	**5764227**

14.5 तकनीकी शिक्षा

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, पॉलीटेक्निक संस्थाओं, फॉर्मेसी संस्थाओं, मैनेजमेंट संस्थाओं, एम.सी.ए. संस्थाओं एवं आर्किटेक्चर संस्थाओं में दी जाती है। उक्त संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा कास्ट्यूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन, डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा मार्डन आफिस मैनेजमेंट, डिप्लोमा फॉर्मेसी, डिप्लोमा आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फॉर्मेसी, तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.टेक., एम.फॉर्मेसी, एम.सी.ए. एवं एम. बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है।

सत्र 2022–23 में राज्य में 03 शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, 01 सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, रायपुर, 01 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, 01 विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, अंबिकापुर, 02 स्वशासी–स्ववित्तीय एवं 26 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय कुल प्रवेश क्षमता 11,494 के साथ संचालित है।

राज्य में 32 शासकीय, 01 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई एवं 15 निजी पॉलीटेक्निक संस्था स्थापित है, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 8,664 है। सभी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सेमेस्टर पद्धति से अध्यापन व परीक्षा की व्यवस्था लागू है। राज्य में 01 विश्वविद्यालयीन फॉर्मेसी संस्था एवं 33 निजी

संस्थाओं में बी.फार्मेसी पाठ्यक्रम, कुल 3,192 प्रवेश क्षमता, 01 विश्वविद्यालयीन फॉर्मेसी संस्था एवं 08 निजी संस्थाओं में एम.फार्मेसी पाठ्यक्रम, कुल 314 प्रवेश क्षमता, 01 शासकीय एवं 43 निजी संस्थाओं में डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम कुल 2,741 प्रवेश क्षमता के साथ संचालित हैं। वर्श 2022–23 हेतु नवीन फॉर्मेसी संस्थाओं एवं वर्तमान में संचालित फॉर्मेसी संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों की अनुमोदन प्रक्रिया फॉर्मेसी कॉउसिंल ऑफ इंडिया के स्तर पर 30 नवम्बर 2022 तक पूर्ण की जावेगी। राज्य में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयीन संस्थाओं एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 1,216 प्रवेश क्षमता के साथ एम.टेक. पाठ्यक्रम संचालित है साथ ही 01 विश्वविद्यालयीन संस्था एवं 14 निजी संस्थाओं में 1,560 प्रवेश क्षमता के साथ एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है। 02 विश्वविद्यालयीन संस्थाओं एवं 06 निजी संस्थानों में 482 प्रवेश क्षमता के साथ एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है।

राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों में स्नातक स्तर के 26 पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर स्तर पर 38 तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर के 19 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित हैं। राज्य के शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक संस्थान छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से सम्बद्ध हैं तथा इनमें संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। फॉर्मेसी संस्थाओं को फॉर्मेसी कॉउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली तथा आर्किटेक्चर संस्थाओं को कॉउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।

14.6 त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमः— राज्य में कुल 48 पॉलीटेक्निक संस्थाएं संचालित हैं। जिनमें 04 शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, 28 शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, 01 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई एवं 15 निजी सहशिक्षा पॉलीटेक्निक शामिल हैं। इन संस्थाओं में निम्नानुसार 19 त्रिवर्षीय एवं 01 द्विवर्षीय पत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालित हैं।

14.7 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

14.7.1 योग्यता एवं योग्यता सह–साधन छात्रवृत्तियाँ :— शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिये योग्यता छात्रवृत्ति और योग्यता सह–साधन छात्रवृत्ति रू. 1,000 प्रति माह तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में रू. 600 प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था है। राज्य के बाहर अध्ययनरत छत्तीसगढ़ राज्य के छात्र–छात्राओं को रू. 2,000 प्रतिमाह की दर से योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है।

14.7.2 बी.पी.एल. छात्रवृत्तिः— छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, जिनके पालक बी.पी.एल. कार्डधारी हैं, उनके लिए यह छात्रवृत्ति सत्र 2007–2008 से लागू की गई है।इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक बी.पी.एल. विद्यार्थी को राशि रु. 1,000 प्रतिमाह एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत प्रत्येक बी.पी.एल. विद्यार्थी को राशि रु. 500 प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है।

14.7.3 ट्यूशन फी व्हेवर स्कीम (टी.एफ.डब्लू.):– यह योजना एआईसीटीई/पीसीआई/सीओए के दिशा निर्देशानुसार लागू की जाती है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को मेरिट के आधार पर शिक्षण शुल्क में छूट देकर प्रोत्साहन किया जाना है। यह योजना स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.सी.ए. में भी यह योजना लागू है।

शासकीय संस्थाओं में जहाँ विगत अकादमिक वर्ष में संबंधित कोर्स में स्वीकृत सीटों पर कम से कम 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हुआ हो, उन संस्थाओं में अतिरिक्त प्रवेश न होने पर भी 5 प्रतिशत सीटों पर TFW देय होगा। मेरिट के आधार पर इन सीटों पर प्रवेशित छात्र–छात्राओं को प्रवेशित संस्था की निर्धारित शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा। छात्र–छात्राओं के पालक/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14.7.4 छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क में छूट :– छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित स्नातकोत्तर, स्नातक एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान की जा रही है।

14.7.5 मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना :– तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के शिक्षार्थियों से बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के भार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा मोरेटोरियम अवधि के उपरांत ली जाने वाली ब्याज राशि में अनुदान देने की योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत रू. 2.00 लाख तक वार्षिक आय के परिवार से आने वाले तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षार्थियों को रू. 4.00 लाख तक की ऋण पर मोरेटोरियम अवधि (पाठ्यक्रम की अवधि एवं नौकरी लगने के उपरांत 1 वर्ष अथवा छः महीना जो भी पहले हो) के उपरांत राज्य के वामपंथी चरमपंथी प्रभावित जिलों जैसे – बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाडा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोंडागांव और बलरामपुर के निवासी शिक्षार्थियों को शून्य प्रतिशत एवं शेष जिलों के निवासी शिक्षार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज भार वहन करना होता है एवं बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज दर के शेष का व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। ब्याज अनुदान का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 14.21 उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना (राशि करोड़ में)

क.	सत्र	लाभांवित विद्यार्थियों की संख्या	ऋण ब्याज अनुदान की कुल राशि
01	2016–17	773	1.64 करोड
02	2017–18	1540	2.76 करोड़
03	2018–19	2094	3.96 करोड
04	2019–20	2060	4.02 करोड़
05	2020–21	1474	2.90 करोड़

14.8 सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट)

14.8.1 सिपेट का उद्देश्य:– विभिन्न शैक्षणिक, तकनीकी एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से देश में प्लास्टिक प्रसंस्करण तथा सहायक उद्योगों हेतु तकनीकी कौशल प्राप्त श्रमशक्ति का निर्माण, प्लास्टिक उद्योगों के क्षेत्र में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देना, गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी परामर्श सहित मोल्ड्स, डाई और प्लास्टिक उत्पादों के डिजाईन तथा प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध एवं विकास को गति देना है।

14.8.2 महत्वपूर्ण लक्ष्य :– इसके अलावा सिपेट रायपुर का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के दीर्घकालीन एवं लघुकालीन पाठ्यक्रम चलाया जाना है। जिसके अंतर्गत ए.आई.सी.टी.ई. (AICTE) नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक पाठ्यक्रम जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग एण्ड टेस्टिंग (PGD-PPT), डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी (DPT), डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी (DPMT), जिन पाठ्यक्रमों की अवधि 2 वर्ष से 03 वर्ष तक की हैं। इसके अंतर्गत 328 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा सत्र 2017–18 से बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग (B.E. in Plastics Engineering) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त 04 वर्षीय पाठ्क्रम संचालित होता है इसके अंतर्गत 352 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है, साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं अन्य प्रायोजक द्वारा लघुकालीन कौशल विकास पाठ्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं। वर्श 2021–22 की अवधि में लगभग 800 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं।

पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण छात्रों को देश के विभिन्न नामी कंपनियों ने रोजगार दिया, जिसमें डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा छात्रों को अधिकतम रू. 5.00 लाख, बी.टेक (प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग) को अधिकतम रू. 7.00 लाख तथा लघुवधि पाठ्यक्रम में सफल प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम रू. 2.25 लाख तक वार्षिक वेतन दिया जाता है।

14.9 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें :— वर्तमान एवं भविष्य की जनशक्ति की आवश्यकताओं एवं मांग को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार मुहैया कराना तथा प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित करने तथा छत्तीसगढ़ राज्य में कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिये छ.ग. शासन कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालनालय प्रशिक्षण द्वारा भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, महानिदेशालय, प्रशिक्षण, के राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.व्ही.टी.) नई दिल्ली के मापदण्ड के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 186 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

तालिका 14.22 वर्षवार औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि

वर्ष	संस्थाओं की संख्या	खोले गये नवीन संस्था
2014—15	146	17
2015—16	163	17
2016—17	172	09
2017—18	178	06
2018—19	178	0
2019—20	181	03
2020—21	184	03
2021—22	186	02
2022—23	186	00

तालिका 14.23 विगत वर्षों में शासकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत सीटों की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत सीट
2015-16	18184
2016-17	19360
2017-18	25589
2018-19	28177
2019-20	33660
2020-21	34036
2021-22	34996
2022-23	37120

14.10 राज्य में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थिति :

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें

जिले	33
संस्थायें	186
अनुसूचित जनजाति विशेष संस्थायें	09
महिलाओं के लिये विशेष	09
संचालित व्यवसाय	51
इंजीनियरिंग व्यवसाय	34
नॉन–इंजीनियरिंग व्यवसाय	17
कुल प्रशिक्षण क्षमता (सीट्स)	37120

निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

जिले	21
संस्थायें	113
संचालित व्यवसाय	21
इंजीनियरिंग व्यवसाय	11
नॉन–इंजीनियरिंग व्यवसाय	10
कुल प्रशिक्षण क्षमता (सीट्स)	20856

क्र.	जिला	शासकीय औ.प्र.संस्थाओं की स्थिति		
		संस्थायें	स्वीकृत सीट्स	रिमार्क
1	बालोद	8	1560	
2	बेमेतरा	5	812	
3	बलरामपुर	7	648	
4	बस्तर	9	1904	
5	बीजापुर	4	448	
6	बिलासपुर	9	3020	
7	बलौदाबाजार–भाटापारा	6	1476	
8	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	4	496	
9	धमतरी	9	1780	
10	दुर्ग	6	3064	
11	कबीरधाम	4	412	
12	जशपुर	8	984	
13	जॉजगीर–चॉपा	7	1052	
14	गरियाबंद	5	704	
15	कोरिया	2	302	
16	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	3	784	
17	कोरबा	6	1448	
18	कोण्डागांव	7	920	
19	नारायणपुर	2	360	
20	मुंगेली	3	520	
21	महासमुन्द	5	976	
22	रायपुर	10	2856	
23	रायगढ़	8	2064	
24	राजनांदगांव	6	1128	
25	उत्तर बस्तर (कांकेर)	8	1408	
26	सरगुजा	8	1484	
27	सूरजपुर	7	1280	
28	सुकमा	3	440	
29	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	2	176	
30	मानपुर–मोहला–अंबागढ़ चौकी	3	452	
31	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	4	648	
32	सक्ती	5	936	
33	सरंगढ़–बिलाईगढ़	3	552	
	योग	**186**	**37120**	

उच्च शिक्षा

छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक युवा को उच्च शिक्षा के सर्व सुविधा सम्पन्न अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सत्र 2022–23 में 6 नवीन शासकीय महाविद्यालय तथा 25 नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किए गए हैं। विभाग के प्रदेश–व्यापी विस्तार के कारण राज्य में अब कुल 9 शासकीय विश्वविद्यालय, 15 निजी विश्वविद्यालय, 285 शासकीय महाविद्यालय, 12 अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 256 अनुदान–अप्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हैं। शासकीय महाविद्यालयों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कुल छात्र–संख्या 335139 है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय सकल नामांकन अनुपात (GER) 3.5 था, जो बढ़कर अब 18.6 हो गया है ।

महाविद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि के साथ–साथ अधोसंरचनात्मक विकास तथा गुणात्मक उन्नयन के प्रति भी विभाग निरन्तर सचेष्ट है। विगत एक वर्ष के दौरान पूर्व से रिक्त पदों के विरुध्द विभिन्न विषयों के 1167 सहायक प्राध्यापक, 40 ग्रंथपाल एवं 39 क्रीड़ा अधिकारियों को महाविद्यालयों में नियुक्ति दी गई है तथा इसी अवधि में शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

छात्रों की अध्ययन–सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न पूर्वसंचालित तथा नवीन विषयों/संकायों में 15855 सीट की स्वीकृति दी गई है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत 8 स्वशासी महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली के साथ च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सहित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू किया गया है, जिसमें मूल्य आधारित शिक्षा का भी समावेश किया गया है। इसी सत्र से प्रदेश के 10 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के शिक्षण का कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति जारी की गई है।

प्रदेश के पात्र 211 शासकीय महाविद्यालयों में 175 महाविद्यालयों का तथा 244 अशासकीय महाविद्यालयों में से 27 का नैक मूल्यांकन हो चुका है। अन्य महाविद्यालयों का नैक मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ निम्नानुसार है :–

1. सत्र 2022–23 में प्रदेश में 06 नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किये गये हैं, जिसमें शैक्षणिक / अशैक्षणिक के 198 पद स्वीकृत किये गये हैं।
2. सत्र 2022–23 में प्रदेश में 25 नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किये गये हैं, जिसमें 4955 सीट स्वीकृत किये गये हैं।
3. सत्र 2022–23 में 78 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों / संकाय में 6030 एवं 34 अशासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों / संकाय में 1465 सीट–वृद्धि की गई एवं 60 अशासकीय महाविद्यालय में नवीन विषयों के लिए 3405 सीट की स्वीकृति प्रदान की गई ।
4. शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग, को एन. आई. आर. एफ (National Institutional Ranking Framework) में पंजीयन हेतु विभिन्न विषयों में सहायक प्राध्यापकों के 40 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके परिणामस्वरूप महाविद्यालय द्वारा एन.आई.आर.एफ (National Institutional Ranking Framework) रैंकिंग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
5. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन की दिशा में अब तक राज्य के 26 जिलों में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है । अन्य महाविद्यालयों में सह–अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है, परिणामस्वरूप शासकीय महाविद्यालयों में आज लैंगिक अनुपात वर्ष 2004 की तुलना में 1:0.7 से बढ़कर अब 1:1.57 हो गया है ।
6. प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद के 27 विषयों के कुल 1384 रिक्त पदों के विरुध्द विभिन्न विषयों की कुल 1167 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं।
7. प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल एवं कीड़ाधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर से विज्ञापन जारी कर साक्षात्कार उपरांत 40 ग्रंथपाल एवं 39 क्रीडा अधिकारियों को नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं।
8. वर्ष 2020 में कुल 36 शासकीय महाविद्यालय नैक से मूल्यांकित थे। वर्तमान में प्रदेश के मूल्यांकन हेतु अर्हता प्राप्त 211 शासकीय महाविद्यालयों में 175

महाविद्यालयों का तथा अर्हता प्राप्त 244 अशासकीय महाविद्यालयों में से 27 का नैक मूल्यांकन हो चुका है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। वर्ष 2022 में कुल 109 शासकीय महाविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन होना गुणवत्ता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि है।

9. वर्तमान में प्रदेश के 285 शासकीय महाविद्यालयों में से 207 महाविद्यालयों के स्वयं के भवन है, 22 महाविद्यालयों के भवन निर्माणाधीन है एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में 18 शासकीय महाविद्यालयों हेतु नवीन भवन–निर्माण का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध सभी 18 शासकीय महाविद्यालय कमशः शासकीय नवीन महाविद्यालय, सोनाखान, बलौदाबाजार, शासकीय नवीन महाविद्यालय, तेदूकोंना महासमुंद, शासकीय नवीन महाविद्यालय, महोद बालोद, शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुईकुकदर, कबीरधाम, शासकीय नवीन महाविद्यालय, कंडेल, धमतरी, शासकीय नवीन महाविद्यालय, चपले, रायगढ़,शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुसमुरा रायगढ़, शासकीय नवीन महाविद्यालय, पेन्ड्रावन, दुर्ग शासकीय नवीन महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, रायपुर, शासकीय नवीन महाविद्यालय, सिलौटी,धमतरी, शासकीय नवीन महाविद्यालय, अमोरा, मुंगेली, शासकीय नवीन महाविद्यालय, बिर्रा,जांजगीर–चांपा,शासकीय नवीन महाविद्यालय, गोहरापदर,गरियाबंद, शासकीय नवीन महाविद्यालय,जटगा, कोरबा, शासकीय नवीन महाविद्यालय, मनोरा, जशपुर शासकीय नवीन महाविद्यालय, कमलेश्वरपुर, सरगुजा, शासकीय नवीन महाविद्यालय, रिसाली, दुर्ग एवं शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुम्हारी, दुर्ग हेतु प्रति संस्था 465.84 लाख की दर से (कुल राशि रु 83.85 करोड.) प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

10. वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में 10 शासकीय महाविद्यालयों के लिए अतिरिक्त कक्ष–निर्माण का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध शासकीय महाविद्यालय धरसींवा, रायपुर, शासकीय महाविद्यालय आरंग, रायपुर, शासकीय महाविद्यालय अभनपुर, रायपुर, शासकीय कन्या महाविद्यालय बलौदाबाजार शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, महासमुंद, शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली, महासमुंद,शासकीय पी.जी महाविद्यालय, धमतरी, शासकीय कन्या महाविद्यालय, धमतरी, शासकीय महाविद्यालय, सक्ती, जांजगीर–चांपा एवं शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर हेतु कुल राशि रू.541.96 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

11. वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में 01 शासकीय महाविद्यालय में बालक–बालिका छात्रावास–निर्माण का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध शासकीय

महाविद्यालय पखांजूर हेतु प्रति छात्रावास 272.81 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

12. आदेश क्रमांक एफ 1–26/2021/38–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21.01.2022 द्वारा 261 सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपालों की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने सम्बंधी आदेश प्रसारित किया गया।

13. सत्र 2022–23 में सहायक ग्रेड–1 से छात्रावास अधीक्षक के 58 पद, सहायक ग्रेड–2 से सहायक ग्रेड–1 के पद पर 21 सहायक ग्रेड–3 से सहायक ग्रेड–2 के 29 पद ,प्रयोगशाला परिचारक से प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर 59 एवं भृत्य से सहायक ग्रेड–3 के 27 पदों सहित कुल 164 पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई ।

14. सत्र 2022–23 में सहायक ग्रेड–3 के 08 एवं भृत्य के 10 कर्मचारियों की परिविक्षा अवधि समाप्त की गई ।

15. सत्र 2022–23 में सहायक ग्रेड–1 के 34, सहायक ग्रेड–2 के 34, सहायक ग्रेड–3 के 27 एवं प्रयोगशाला तकनीशियन के 101 कुल 196 कर्मचारियों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

16. सत्र 2022–23 में 17 कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई ।

तालिका 14.24 शासकीय महाविद्यालयों की संवर्गवार छात्र एवं छात्राओं की संख्या:–

संवर्ग	स्नातक एवं स्नातकोत्तर			महायोग
	छात्र	छात्रा	योग	
सामान्य	13569	22940	36509	335139
अनुसूचित जाति	21311	29260	50571	
अनुसूचित जनजाति	31397	54315	85712	
अन्य पिछड़ा वर्ग	62033	100314	162347	
योग –	128310	206829	335139	

छात्रवृत्ति

➢ **बी.पी.एल. छात्रवृत्ति** :– उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के छात्रों हेतु बी.पी.एल. छात्रवृत्ति सत्र 2005–06 से प्रदान की जा रही है। इसके अन्तर्गत आने वाले स्नातक स्तर के छात्रों को रू. 300/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए कुल 3000/– रू. एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को रू. 500/– प्रति माह की दर से 10 माह के लिए

कुल 5000/– प्रति छात्र प्रदान किया जाता है। सत्र 2021–22में बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर 21,333 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 19,881 कुल 41,214 विद्यार्थियों को लगभग राशि रूपये 5,55,95,200.00 डी.बी.टी के माध्यम से वितरित की गई है।

- **बी.पी.एल. बुक बैंक योजना** :–बी.पी.एल. बुक बैंक योजना राज्य शासन द्वारा 2005 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. छात्र–छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिवर्ष पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये पाठ्य पुस्तकें महाविद्यालय द्वारा क्रय कर प्रदान की जाती हैं।

- **अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिये मुफ्त स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान करना** :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मुफ्त स्टेशनरी एवं पुस्तकें प्रदान करने के लिये बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत स्नातक स्तर पर रूपये 50/– प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी एवं प्रति दो विद्यार्थी रूपये 600/– की पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रूपये 50/– प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी तथा प्रति दो विद्यार्थी रूपये 800/– की पुस्तकें देने का प्रावधान है।

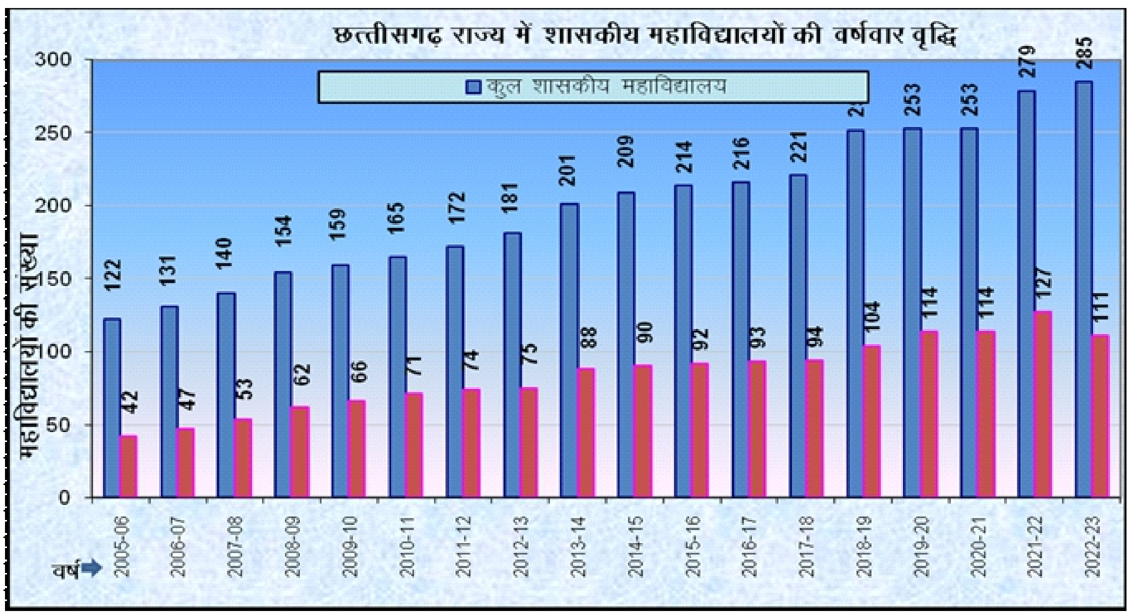

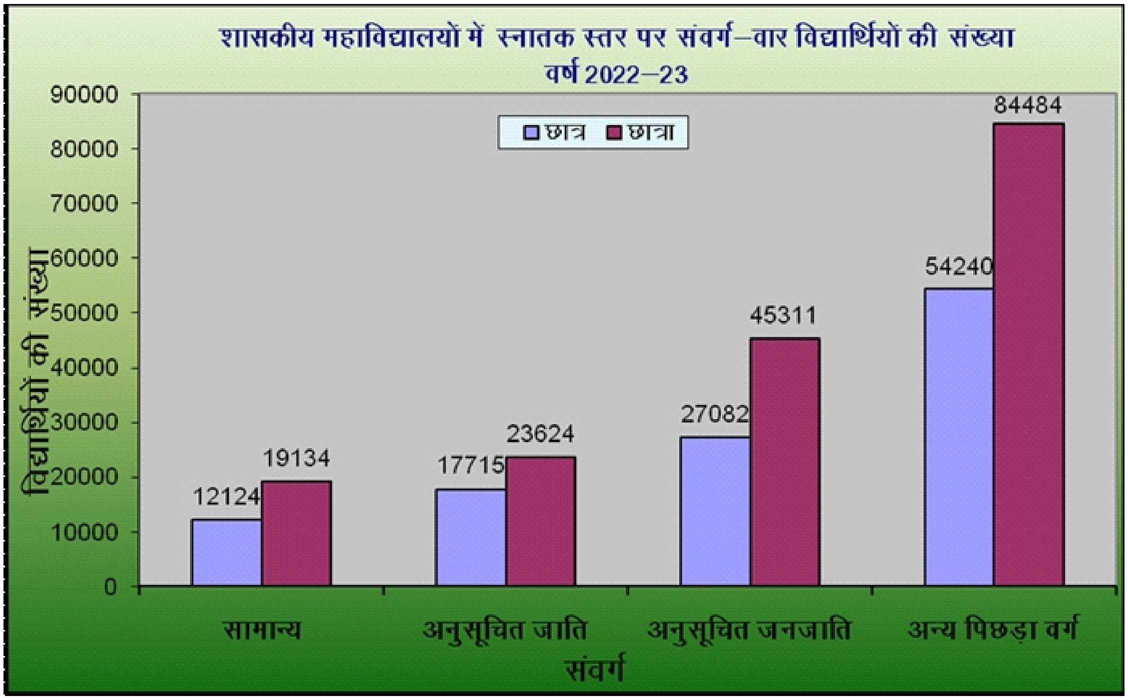

शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर संवर्ग–वार विद्यार्थियों की संख्या
वर्ष 2022–23
छात्र
छात्रा
विद्यार्थियों की संख्या
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
12124
19134
17715
23624
27082
45311
54240
84484
सामान्य
अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति
अन्य पिछड़ा वर्ग
संवर्ग

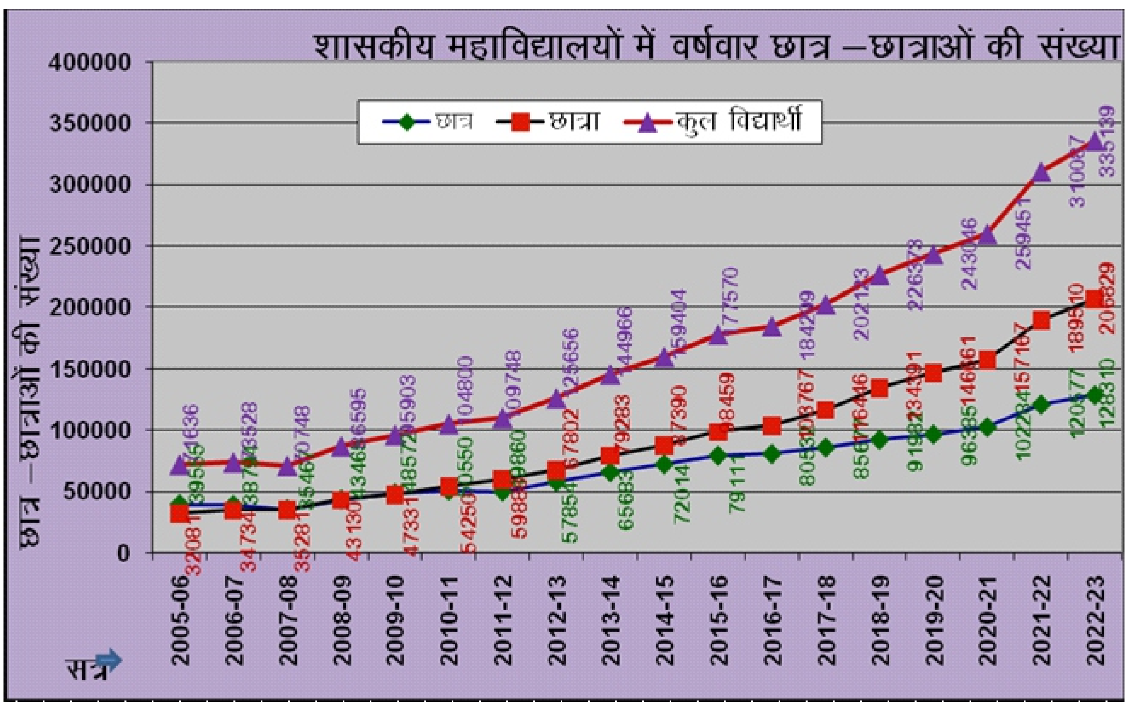

शासकीय महाविद्यालयों में वर्षवार छात्र –छात्राओं की संख्या
छात्र
छात्रा
कुल विद्यार्थी
छात्र –छात्राओं की संख्या
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
सत्र

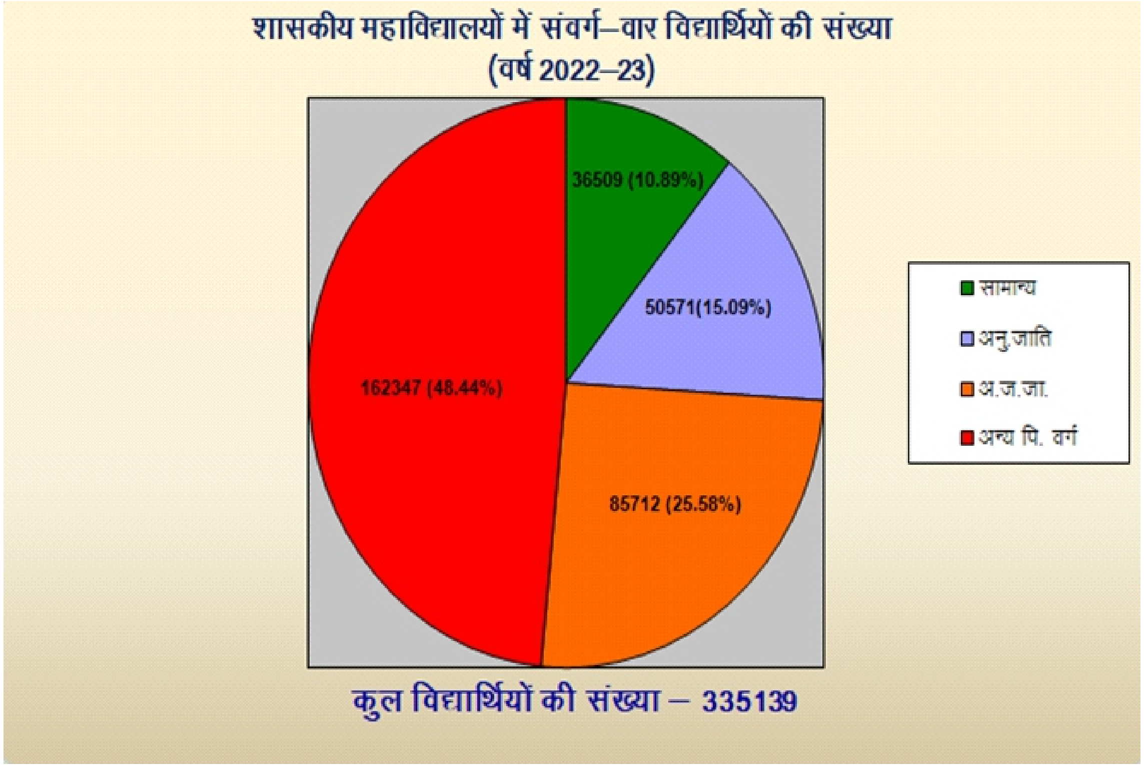
शासकीय महाविद्यालयों में संवर्ग–वार विद्यार्थियों की संख्या
(वर्ष 2022–23)
36509 (10.89%)
50571(15.09%)
85712 (25.58%)
162347 (48.44%)
सामान्य
अनु.जाति
अ.ज.जा.
अन्य पि. वर्ग
कुल विद्यार्थियों की संख्या – 335139